कार्यालय कलेक्टर जिला–मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र. 35/31-82/भू–अर्जन/2016–17 5279 मुरैना, दिनांक : 7/1/2017

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम टैंटरा , तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला–मुरैना में कुल रकवा 2.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला–मुरैना तहसील–सबलगढ़ के ग्राम–टैंटरा प.ह.नं.09 रा.नि., वृत–01 में उक्त परियोजना के लिये 2.022 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता हैः–

अनुसूची

क.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
01	163	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	रोशन पुत्र हरिनंदन जाति रावत शा. पटे.
02	63/मि–1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बद्री पुत्र खूबा, जाति जाटव नि ग्राम.
	63/मि–2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.312	भागीरथ पुत्र खूबा जाति जाटव नि. ग्राम
03	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.223	दिनेश, वीरेन्द्र पुत्रगण बद्री जाटव नि.ग्राम
04	65/मि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.326	रघुनंदन, लक्ष्मण, पुत्रगण तोफनिया जाति जाटव नि. ग्राम समानभाग
	65/मि–2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीनिवास, मुनेश पुत्रगण भन्ता जाटव नि. ग्राम समान भाग
05	71	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	राजअली शाह, मीरअली शाह, साहिद शाह शाकिरस्या पुत्रगण सरदार शाह मुन्नी, गुलशन, सायना गुडडी अनीसा, रूबीना गडिया पुत्रियान सरदार स्या समानभाग 5/26 गुड्डी पत्नि इंसाफ अली भाग 21/26 जाति सांई मुसलमान नि. निहरीसिंह का पुरा।
06	125/मि–1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.057	शिवनारायण पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि.ग्राम
	125/मि–2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		लक्ष्मीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि.ग्राम
	125/मि–3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		प्रहलाद पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि. ग्राम
	125/मि–4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		लालपति पुत्र बिहारी जाटव नि.ग्राम

07	82	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	हरिचरण, ओमप्रकाश पुत्रगण केवला गुडडी पुत्री केवला समानभाग 1/2 किन्ती पुत्री ग्याजीत भाग 1/2 जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
08	127मि–1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.557	बाबूलाल पुत्र बिहारी, जाति जाटव नि.ग्राम
	127/मि–3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		वासुदेव, गिर्राज पुत्रगण जगनू जाटव नि. ग्राम
09	133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.124	गोरेलाल, ज्ञानसिह पुत्रगण हरिनंदन रावत नि.ग्राम
10	134	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	गोरेलाल, ज्ञानसिह पुत्र हरिनन्दन, जाति रावत नि. ग्राम समान भाग
11	135	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.319	बृजमोहन, दिनेश पुत्रगण बाबूलाल जाति मेहतर नि. ग्राम समान भाग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना

तारीख : 7-7-2017

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)

पृष्ठां. प्र.क्र. 35/ अ-82/भू–अर्जन/2016–17/5279 मुरैना, दिनांक : 7 / 7 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, परगना सबलगढ़ की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिंग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)